International Journal of Applied and Universal Research **E-ISSN No: 2395-0269**
Volume IV, Issue II, March-April. 2017 Available online at: www.ijaur.com

विकास कार्यक्रमों का जनजातीय जीवन पर प्रभाव नारायणपुर (अबुझमाड़) (छत्तीसगढ़) के विशेष संदर्भ में

सखाराम कुंजाम
सहायक प्राध्यापक भूगोल
शास0 स्वामी आत्मानंद स्नातकोत्तर महा0 नारायणपुर (छत्तीसगढ़)

शोध सारांश–
प्रस्तुत शोध छत्तीसगढ़ प्रदेश के बस्तर जिले के बीहड़ जंगल, प्रकृति की अमूल्य निधि प्राकृतिक सम्पदा है। वास्तव में विकास एक सतत प्रक्रिया है। परिवर्तन विकास का सूचक है। विकास का सामान्य अर्थ बहुधा उच्चतर उपभोग और जीवन की अच्छी गुणवत्ता लगाया जाता है। अतः स्पष्ट है कि अधिक उपभोग को अपने आप में विकास का एक मात्र उद्देश्य स्वीकार नहीं किया जा सकता है। सामाजिक जीवन में प्रत्येक व्यक्ति की कुछ आधारभूत भौतिक आवश्यकताएँ होती हैं। उस सीमा तक उपभोग मानवीय प्रयास का एक आधारभूत लक्ष्य बन जाता है। पर्याप्त सन्तुलित भोजन, न्यूनतम वस्त्र हवा पानी से बचने के लिए सुखद आगम शरीर संरक्षण के लिए अनिवार्य है। अबूझमाड़िया लगभग बिना कपड़ों के ही रहते हैं। कम कपड़े पहनना गरीबी का द्योतक नहीं है। वह उनकी नैसर्गिक स्थिति में जीवन यापन का तौर तरीका मात्र है। वहां पर यदि किसी बालिका को वक्षस्थल को ढकने के लिए वस्त्र पहनने के लिए कहा जाय तो वह शरमाती है और उसे अटपटा लगता है। उसके परिजन परिहास में कहने लगते हैं कि ये तो 'लालपटी' (मैदानी इलाका) की हो गयी है। आदिवासी विकास एक औपचारिक कार्य सूची न होकर एक अवधारणा के रूप में परिभाषित होना चाहिए। यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें अन्तिम लक्ष्य को सतत रूप से परिभाषित करने की आवश्यकता है। साथ ही उसके सन्दर्भ में कार्य नीति निर्धारित करते रहना आवश्यक हो जाता है। यहाँ प्रत्येक कार्य की एक ही कसौटी हो सकती है– कि क्या प्रस्तावित प्रावधान आदिवासी समाज के हित में है अथवा उनके कल्याण के लिए द्योतक है जो हित में नहीं त्याज्य है, चाहे औपचारिक व्यवस्था कितनी ही मान्य वा विधि–नियम सम्मत क्यों न हो प्रत्येक आदिवासी समुदाय के लिए उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति, संसाधनों की सम्भाव्यता तथा अन्य वर्गों के सम्पर्क की प्रकृति एवं अनन्य सन्दर्भ–विन्दु संकुल का निर्धारण करते हैं। इसलिए प्रत्येक मामले में विकास की गति और उसकी दिशा अलग से परिभाषित की जाना आवश्यक है। आदिवासी क्षेत्रों की परम्परागत व्यवस्था को न केवल अर्थहीन न मान लिया जाए बल्कि उसे नयी व्यवस्था की परिभाषा, स्वरूप और संचालन में एक मत स्वपूर्ण तथ्य के रूप में स्वीकार किया जाय। इसी परिपेक्ष्य में शासन द्वारा संचालित विकास कार्यक्रमों का जनजातीय जीवन पर प्रभाव का मूल्यांकन समाचीन है। जिला नारायणपुर जो बस्तर का अभिन्न अंग है, जिसे सन् 2007 में जिला का दर्जा प्राप्त हुआ है। नारायणपुर में ओरछा विकाखण्ड में 'अबूझमाड़' विशेष आकर्षण का केन्द्र है। जहाँ प्रकृति के प्रति आस्था को संजोये हुए जंगली जनजातियों बीहड़ जंगल में निवास करती हैं। ये प्रकृति की गोद में जंगली जानवरों की भांति विचरण करते हुए दिखाई पड़ते हैं। इनमें आधुनिक वैज्ञानिक–भौतिकवाद का प्रभाव बिलकुल नहीं है।

मुख्य शब्द :- प्राकृतिक सम्पदा, आदिवासी विकास कार्यक्रम, नारायणपुर (अबुझमाड़) छत्तीसगढ़।

परिचयः
वास्तव में विकास एक सतत प्रक्रिया है। परिवर्तन विकास का सूचक है। विकास का सामान्य अर्थ बहुधा उच्चतर उपभोग और जीवन की अच्छी गुणवत्ता लगाया जाता है। अतः स्पष्ट है कि अधिक उपभोग को अपने आप में विकास का एक मात्र उद्देश्य स्वीकार नहीं किया जा सकता है। सामाजिक जीवन में प्रत्येक व्यक्ति की कुछ आधारभूत भौतिक आवश्यकताएँ होती हैं। उस सीमा तक उपभोग मानवीय प्रयास का एक आधारभूत लक्ष्य बन जाता है। पर्याप्त सन्तुलित भोजन, न्यूनतम वस्त्र हवा पानी से बचने के लिए सुखद आगम शरीर संरक्षण के लिए अनिवार्य है। अबूझमाड़िया लगभग बिना कपड़ों के ही रहते हैं। कम कपड़े पहनना गरीबी का द्योतक नहीं है। वह उनकी नैसर्गिक स्थिति में जीवन यापन का तौर तरीका मात्र है। वहां पर यदि किसी बालिका को वक्षस्थल को ढकने के लिए वस्त्र पहनने के लिए कहा जाय तो वह शरमाती है और उसे अटपटा लगता है। उसके परिजन परिहास में कहने लगते हैं कि ये तो 'लालपटी' (मैदानी इलाका) की हो गयी है।[1]

आदिवासी विकास एक औपचारिक कार्य सूची न होकर एक अवधारणा के रूप में परिभाषित होना चाहिए। यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें अन्तिम लक्ष्य को सतत रूप से परिभाषित करने की आवश्यकता है। साथ ही उसके सन्दर्भ में कार्य नीति निर्धारित करते रहना आवश्यक हो जाता है। यहाँ प्रत्येक कार्य की एक ही कसौटी हो सकती है– कि क्या प्रस्तावित प्रावधान आदिवासी समाज के हित में है अथवा उनके कल्याण के लिए द्योतक है जो हित में नहीं त्याज्य है, चाहे औपचारिक व्यवस्था कितनी ही मान्य वा विधि–नियम सम्मत क्यों न हो प्रत्येक आदिवासी समुदाय के लिए उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति, संसाधनों की सम्भाव्यता तथा अन्य वर्गों के सम्पर्क की प्रकृति एवं अनन्य सन्दर्भ–विन्दु संकुल का निर्धारण करते हैं। इसलिए प्रत्येक मामले में विकास की गति और उसकी दिशा अलग से परिभाषित की जाना आवश्यक है। आदिवासी क्षेत्रों की परम्परागत व्यवस्था को न केवल अर्थहीन न मान लिया जाए बल्कि उसे नयी व्यवस्था की परिभाषा, स्वरूप और संचालन में एक मत स्वपूर्ण तथ्य के रूप में स्वीकार किया जाय। इसी परिपेक्ष्य में शासन द्वारा

संचालित विकास कार्यक्रमों का जनजातीय जीवन पर प्रभाव का मूल्यांकन समाचीन है।
जिला नारायणपुर जनजातीय आवासित बहुल क्षेत्र छत्तीसगढ़ राज्य के विभाजन के पश्चात तथा जिला का नवीन पुर्नगठन के पश्चात् जिला नारायणपुर की सन् 2007 को नवीन जिला की स्थापना के पश्चात आदिवासी विकास खण्ड नारायणपुर को जिला मुख्यालय का दर्जा प्राप्त होने के पश्चात नारायणपुर विकास खण्ड/तहसील तथा ओरछा विकास खण्ड/तहसील का परिदृश्य, एवं वहाँ आवासित जनजातियों के विकास का परिदृश्य एवं वातावरण दो रूपों में दिखायी पड़ता है।

2.अध्ययन क्षेत्र का परिचय –
छत्तीसगढ़ प्रदेश में आवासित जनजातियाँ मुख्य रूप से नारायणपुर जिला की आदिवासी विभाग कार्यक्रमों का जन्जातीय पर्यावरण पर प्रभाव का प्रस्तुत शोध परियोजना का अध्ययन क्षेत्र निरूपित किया गया है। नारायणपुर जिला की जनजाति पर्यावरण प्रभाव को पारिस्थितिकी निकेत में विभक्त कर अध्ययन किया गया है। जनजाति पारिस्थितिकी निकेत में अध्ययन भौगोलिक सीमा के अन्तर्गत आता है। अतः शोध प्रबंध अन्तर्गत भौगोलिक तत्वों, धारातलीय संरचना, जनसंख्या उद्यम, कृषि तकनीकी, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के प्रभावों का उल्लेख किया गया है। शोध प्रबंध में छत्तीसगढ़ के जनजाति पारिस्थितिकी के अध्ययन की दृष्टि से तहसील/विकासखण्ड को आधार मानकर किया गया है। जिसमें पर्यावरणीय पारिस्थितिकी तंत्र के प्रभावों का विश्लेषणात्मक अध्ययन तथा वर्तमान बदलते परिवेश के कारण जिला नारायणपुर के जनजातियों में सृजनात्मक परिवर्तनों का समग्र अध्ययन शोध प्रबन्ध में समाहित करने की योजना है।

3.अध्ययन का उद्देश्य –
जनजाति पारिस्थितिकी के अध्ययन का मुख्य लक्ष्य एवं उद्देश्य इस प्रकार हैं –

1. जनजातियों में पर्यावरण के प्रति चेतना जागृत करना एवं उसके अनुकूल दैनिक जीवन के आचरण को ढालना।
2. जनजातियों के आर्थिक स्तर को ऊपर उठाना।
3. जनजातियों में अन्धविश्वास को दूर करना तथा पौधों की पारिस्थितिकी (वैज्ञानिक क्रिया) के अनुकूल आचरण का विकास करना।
4. सामाजिक शोषण से मुक्त करना है।
5. राष्ट्रीय विकास की मुख्य धारा से जोड़ना है।
6. जनजातियों में शिक्षा का विकास करना है।
7. पर्यावरण संतुलन को बनाये रखना है।
8. जनजातियों को कुपोषण से बचाना है।
9. जनजाति आवासित क्षेत्रों में यातायात के साधनों का विकास करना है।
10. जनाजातियों को शासन की विविध योजनाओं से अवगत करना है।
11. उन्नतशील जनजातियों की श्रेणी में लाना है।
12. जनजाति क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार एवं परिवार नियोजन कार्य को प्रोत्साहन देना है।

4. शोध प्रविधि –
शोध को व्यावहारिक स्वरूप प्रदान करने के लिए निम्नांकित विधियों का समावेश किया गया है –

1. साक्षात्कार विधि
2. सर्वेक्षण एवं निरीक्षण विधि
3. अनुभावित विधि
4. वर्णात्मक विधि।

संकल्पनात्मक स्वरूप –
संकल्पनात्मक स्वरूप के अन्तर्गत अमेरिका के पर्यावरणीय विज्ञान के विश्व कोष (Encyclopedia of Environment Science) के द्वारा प्रस्तुत पारिस्थितिकी शब्द की संकल्पनाओं को समाहित किया गया है –

1. पारिस्थितिकी
2. व्यावहारिक पारिस्थितिकी
3. मानवीय पारिस्थितिकी
4. वैज्ञानिक क्रिया (पौधों की पारिस्थितिकी)

3.शोध परिकल्पनाएँ (Hypothisis of Naturalism)

- प्रकृतिवाद की परिकल्पना (Hypothisis of Naturalism)
- आदिम दृष्टिकोण (Tribal Concept)
- जीव सम्बन्धी विचारधारा (Organismicschool)
- पारिस्थितिकी तंत्र (Ecoystem)

4.आंकड़ों का स्वरूप एवं आधार –
इस अध्ययन के लिए उल्लेखित अधिकांश आंकड़े वर्ष 2001 से 2011 तथा अनुमानित 2021 तक को आधार मानकर आंकड़े प्राथमिक एवं गौण विधियों से प्राप्त किये गये हैं। इस अध्ययन के लिए अधिकांश छत्तीसगढ़ के बहुसंख्यक जनजाति आवासित जिला तथा विशेष रूप से नारायणपुर जिला के तहसील/विकासखण्ड स्तर पर आधारित आंकड़ों को संग्रहित किया गया है एवं उनका विश्लेषण किया गया है। जिला नारायणपुर के बहुसंख्यक जनजातियों का सर्वेक्षण कार्य योजना द्वारा अवलोकन एवं साक्षात्कार के माध्यम से आंकड़ों का संग्रह किया गया है। जिसमें रेण्डम मेथड/निदर्शन विधि से विभिन्न तथ्यों की जानकारी अनुसूची द्वारा प्राप्त की गयी है। अनुसूची के अन्तर्गत निम्न प्रकार की जानकारी उत्तरदाताओं से प्राप्त की गयी है –

1. अवलोकन सूची (सामान्य परिचयात्मक)
2. साक्षात्कार अनुसूची –

- सांस्कृतिक प्रतिस्थापना एवं पारिस्थितिकी निकेत एवं टोटमवाद
- उद्यम पारिस्थितिकी, शिक्षा बाजार बैंकिंग, परिवहन
- आर्थिक एवं सामाजिक पारिस्थितिकी
- जनजाति पारिस्थितिकी की समस्यायें
- जनजाति पारिस्थितिकी विकास में जनजातियों का योगदान
- गौण विधि से प्राप्त आंकड़ें विभिन्न प्रकाशन

प्रतिवेदन और सम्बन्धित शासकीय विभाग से अभिलेख प्राप्त किये गये हैं। जनगणना कार्यालय, आदिम जाति कल्याण विभाग, सूचना प्रसारण विभाग, पुरातत्व संग्रहालय आदि से विस्तृत अभिलेख प्राप्त किये गये, इसके अतिरिक्त मानचित्र आरेख गणक (कम्प्यूटर) फोटोग्राफर का भी सहयोग लिया गया है।

5.अध्ययन की आवश्यकता, महत्व एवं सीमाएँ –

पारिस्थितिकी के सिद्धान्तों को समझकर तथ्य प्रकृति के अनुरूप कार्य करने से ही प्रकृति के साथ सामंजस्य की स्थिति उत्पन्न की जा सकती है। अन्यथा जनजातियों का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। विज्ञान की अनेक शाखाओं के विनाशकारी प्रभावों को दूर करने के लिए केवल पारिस्थितिकी ही सक्षम है। क्योंकि यह एक बहुउद्देशीय संश्लेषित विज्ञान है। छत्तीसगढ़ जिले में बहुसंख्यक जनजातियाँ पाई जाती हैं। जो (आदिवासी) जनजाति पारिस्थितिकी भूखण्ड है। जहाँ सर्वाधिक गोड़, बैगा, भारिया, मुड़िया, भतरा, कोटवा जनजातियां निवास करती हैं। जिसे जनजाति प्रधान क्षेत्र के प्रतीक के रूप में माना गया है। यह प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण है, किन्तु प्राकृतिक पर्यावरण में निवास करने वाली जनजातियों का अस्तित्व संसाधनों के असीमित दोहन के विनास के कगार पर है। अतः जनजातियाँ पारिस्थितिकी का संरक्षण करना एक औचित्यपूर्ण प्रश्न है। जनजाति पारिस्थितिकी में उपलब्ध संसाधनों का कैसे उपयोग करें कि इन संसाधनों का अधिकतम उपयोग हो पर ह्रास न हो वर्तमान में जनजाति में उभरी समस्याओं को उनके भौगोलिक परिवेश में नियोजित ढंग से प्रस्तुत करना तथा संस्कृति भाषा लिपि तथा तत्व प्रथाओं, परम्पराओं का अध्ययन है। जनजाति समाज विशेष रूप से छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिला के विशेष संदर्भ में जनजाति पारिस्थितिकी की दृष्टि से स्वास्थ्य जीवन के लिए चार वर्गों में गणना की है। जो कि स्वास्थ्य के निर्धारण में महत्वपूर्ण है जो इस प्रकार है – (1) स्वास्थ्य, (2) पारिस्थितिकी, (3) सामाजिक सांस्कृतिक, (4) राजनीतिक।

पिछले 200 वर्षों में पर्यावरण के क्षेत्र में भूगोल वेत्ताओं द्वारा विस्तृत एवं महत्वपूर्ण कार्य किया गया है। इस सम्बन्ध में कान्ट हम्बोल्ट तथा रेटजल आदि जर्मन भूगोल वेत्ताओं द्वारा मानवीय जीवन की क्रियाओं पर वातावरण पारिस्थितिकी के प्रभाव को स्वीकार किया गया है। इन भूगोल वेत्ताओं ने पर्यावरण को प्रधानता दी है तथा पर्यावरण के अध्ययन में भौगोलिक स्थिति भू–संरचना उच्चावच जलवायु मिट्टियां, खनिज संसाधनों, प्राकृतिक वनस्पति और जन्तु वर्ग को सम्मिलित किया गया है। वर्तमान समय में पुनः भूगोल में इस प्रकृति को महत्व दिया जा रहा है जो जैव एवं अजैव का संगठन है, मानव का जीवन आश्रय प्राकृतिक व्यवस्था है यह प्राकृतिक व्यवस्था पांच तत्वों से बनीं है, इनका परस्पर सम्बन्ध है। (1) वायु, (2) जल, (3) भूमि, (4) जीव–जन्तु, (5) वनस्पतियाँ।

शोध प्रबंध की सीमाएँ –

आदिवासी विभाग कार्यक्रमों का जनजातीय पर्यावरण पर प्रभाव नारायणपुर (अबूझमाड़) छत्तीसगढ़ के विशेष सन्दर्भ में विगत 10 वर्षों में उभरे हुए परिवर्तनों को उद्घाटित करना, तथा शोध–प्रबंध में कार्य योजना के रूप में प्रस्तुतीकरण है।

विश्लेषण–

प्रस्तुत शोध में विकास कार्यक्रमों का जनजातीय जीवन पर प्रभाव का चित्रण किया गया है। उसके अन्तर्गत कृषि विकास पर प्रभाव, रोजगार एवं व्यवसाय पर प्रभाव, शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर प्रभाव, पारिवारिक जीवन पर प्रभाव, विवाह पर प्रभाव, जीवन स्तर, रहन–सहन, भोजन, वस्त्र आवास पर प्रभाव तथा राजनैतिक एवं धार्मिक मान्यताओं पर प्रभाव एवं अन्य प्रभावों का उल्लेख किया गया है।

1) कृषि विकास पर प्रभाव –

कृषि विकास कार्यक्रम एवं जनजातीय जीवन पर प्रभाव के मध्य जो विन्दु सर्वथा उभर कर प्रकट हुए हैं वे इस प्रकार हैं –

1. कृषि कार्य वंशानुक्रम से हटकर स्वार्थ परक हो गया है।
2. कृषि में व्यक्तिगत यंत्र की शुरुआत होने के फलस्वरूप समाजवाद टूटकर साम्यवाद में परिणित हो गया है। जनजातियों में आपकी विघटन एवं वर्ग–वाद–शहरी, जंगली भावना प्रस्फुटित हो गयी है।
3. व्यक्तिगत हित एवं भूमि संरक्षण के प्रति झुकाव क्रमशः वढ़ रहा है।
4. अबूझमाड़ आदिवासी अंचल–नकसलवाद से प्रभावित है। जब अदिम व्यवस्था आज भी कायम है। जनजातियों की प्राशासनिक, सामाजिक व्यवस्था प्रथक है।
5. अबूझमाड़ अंचल में जो जनजातियां नक्सलवादी विचारधारा का विरोध करती हैं, ऐसे तीन हजार लोगों को अबूझमाड़ से निकाल दिया गया है। उन्हें नारायणपुर में प्रवास हेतु जिला प्रशासन द्वारा व्यवस्था दी गई है।

(2) जनजाति शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर प्रभाव –

1. जनजाति समाज में शिक्षण के प्रति अभूतपूर्व परिवर्तन परिलक्षित होने लगे हैं। आश्रम, शालाएं, जहां भोजन, वस्त्र एवं आवासकी सुलभता है। पठन–पाठन की

निःशुल्क व्यवस्था है। उनके प्रति झुकाव क्रमशः बढ़ रहा है।

2. नौकरी में आरक्षण के कारण – शिक्षित समुदाय – मास्टर, पटवारी, समिति सेवक, चौकीदार, नौकरी शुदा की भावना समाज में उभर रही है। समाज में उच्च एवं निम्न वर्ग की भावना पनप रही ह। समाज में राजनीति में आराम तलब वर्ग नेता उच्च एवं निम्न वर्ग का विभेद पैदा कर दिया है।

उच्च एवं निम्न वर्ग का विभेद ने समाज में दो समानान्तर वर्गवाद को जन्म दिया है –

(अ) परम्परावादी एवं रूढ़िवादी विचारधारा को मानने वाले अशिक्षित समुदाय।

(ब) पढ़े लिखित शिक्षित, आधुनिक विचारधारा, शहरी जीवन जीने वाले लोग, नव जीवन, नव चेतना से प्रभावित जनजाति के लोग दूरसंचार व्यवस्था, टी.पी. समाचार पत्रों के माध्यम से आधुनिक पर्यावरण में विशेष प्रभावित हैं।

3. जनजातियां स्थानीय जंगलों में प्राप्त जुड़ी बूटियों, प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान चरक संहिता की पोषक हैं। वर्तमान औद्योगिक प्रभाव, आधुनिक शिक्षा पद्धति, एलोपैथिक चिकित्सा के प्रभाव के कारण, इनमें स्थानीय जड़ी बूटियों के संग्रह कार्य में शिथिलता आ रही है।
4. शिक्षा के बढ़ते प्रभाव के कारण धार्मिक एवं सामाजिक मान्यताओं क्रमशः परिवर्तन के लक्षण दिखाई पढ़ने लगे हैं।
5. मानसिकता में बदलाव – नौकरी, शिक्षा, उद्योग के प्रति रुझान बढ़ रहा है।
6. औद्योगीकरण के बढ़ते प्रभाव के कारण जंगल कट जाने के कारण आवागमन, परिवहन का क्रमशः विकास हो रहा है, जिसमें यायावरी घुमक्कड़ी जीवन पद्धति में, जनजातियां स्थायी रूप से अपना आवास निर्माण करने लगे हैं।
7. शिक्षा के प्रभाव से – जादू, टोना, अन्धविश्वास में क्रमशः कमी आने लगी है, शासकीय अस्पतालों की ओर उन्मुख होने लगे हैं।

(3) जनजातीय आहार–पोषण एवं स्वास्थ्य (Tribals Food-Nutration and Health) –

आहार पोषण एवं पर्यावरण पारिस्थितिकी का सम्बन्ध जनजातीय आहार पोषण एवं पर्यावरण पारिस्थितिकी का बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध है। पर्यावरण के तत्व–भूमि, जल, वायु, वनस्पति, जीव–जन्तु, जनजातीय भोजन की उपलब्धि एवं पोषक तत्वों की प्राप्ति में सहायक है। यही तत्व खाद्यान्न उत्पादन, कृषि उत्पादन एवं अन्य आवश्कताओं की पूर्ति करते हैं। ये तत्व बहुत हद तक मनुष्यों की आदतों, प्राकृति एवं स्वभाव को प्रभावित करते हैं।

प्राकृतिक पर्यावरण पारिस्थितिकी परिवेश में जन जातियों की स्थिति केन्द्रवर्ती है जो प्राकृतिक पर्यावरण के तत्वों के (मध्य) से आहार (भोजन) प्राप्त करती है प्राकृतिक उत्पादन आहार के श्रोत, माध्यम का कार्य करते हैं जिनका प्रतिफल उनका जीवन निर्वहन पोषण आधारित है। जैसा कि आरेख क्रमांक 6. 1 से स्पष्ट शरीर को क्रियाशील बनाने हेतु भोजन की आवश्यकता होती है जिसमें शरीर के अंग प्रत्यंगों का विकास एवं गठन होता है इससे शारीरिक शक्ति स्फूर्ति कार्य क्षमता का विकास होता है।

जनजातीय आहार पोषण एवं पर्यावरण पारिस्थितिकी का अर्न्तसम्बन्ध इस प्रकार है –

जनजाति आहार पारिस्थितिकी पर्यावरण आहार का सम्बन्ध

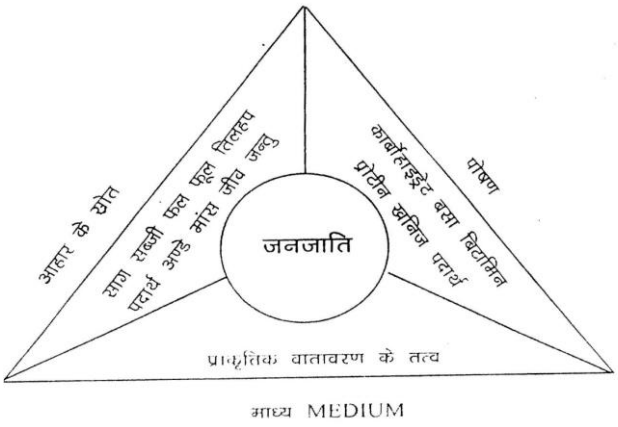

4.पारिवारिक जीवन पर प्रभाव –

जनजातीय समाज को परिवारों का संकलन कहा जाता है। जिनका अपना एक निश्चित भू–भाग पर रहते हैं। सामान्य भाषा बोलते हैं विवाह व्यवसाय या उपयोग के विषय में कुछ निषेधों का पालन करते हैं। एक सुनियोजित आदान प्रदान की व्यवस्था का विकास करते है। जनजातीय समाज के विषय वस्तु (Subject Matter) में निम्नांकित तत्थ विशेष महत्वपूर्ण हैं –

1. मानवीय क्रियायें
2. सामाजिक संगठन
3. सामाजिक नियंत्रण
4. सामाजिक संस्थायें
5. सामाजिक परिवर्तन
6. सामाजिक संहितायें

जनजातीय समाज में उक्त विषय वस्तु स्थानीय पर्यावरण पारिस्थितिकी के अनुकूल समयकाल के अनुसार संचालित

होते हैं। जिनका पर्यावरणीय प्रभाव जनजातीय प्रभाव नारायणपुर जिला में पाई जाने वाली जनजातियों में स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित है।

जनजातियों पर राजनैतिक एवं धार्मिक मान्यताओं का प्रभाव –

(अ) राजनैतिक प्रभाव – जिला नारायणपुर (बस्तर सम्भाग) छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ भी लोकतंत्रात्मक व्यवस्था से प्रभावित है। इसे नकारा नहीं जा सकता है। जनजातीय जीवन को प्रभावित करने वाले राजनैतिक घटक इस प्रकार हैं

सारणी क्रमांक 1
जनजातीय जीवन को प्रभावित करने वाले राजनैतिक घटक

क्रमांक	संस्थाएँ	प्रभावित करने वाली कार्य पद्धति
1.	भारतीय संविधान	सम्वैधानिक विधि
2.	चुनाव आयोग का गठन केन्द्रीय चुनाव आयोग प्रान्तीय चुनाव आयोग	चुनाव प्रणाली लोकसभा, राज्य सभा का चुनाव विधान सभाओं का चुनाव
3.	पंचायती राज व्यवस्था का चुनाव (अ) जिला जनपद पंचायत (ब) जनपद पंचायत (विकासखण्ड स्तर) (स) ग्राम पंचायत	रिटर्निंग आफीसर द्वारा चुनाव समापन जिला जनपद अध्यक्ष का चुनाव जनपद अध्यक्ष का चुनाव ग्राम पंचायत का चुनाव
4.	स्थानीय सरकारी संस्थाओं का चुनाव	अध्यक्ष्य सहकारिता
5.	लघु वनोपज समितियों का चुनाव	अध्यक्ष समिति
6.	चुनाव की प्रक्रिया	चुनाव की घोषणा चुनाव सम्पादन, वोटिंग, मतगणना

जनजातीय जीवन को प्रभावित करने वाले राजनैतिक घटक निजी संस्थाओं एवं उन्हें प्रभावित करने वाली कार्य पद्धति के मध्य अन्तर्गनिहित सम्बन्धों की क्रिया–प्रतिक्रिया के फलस्वरूप व्यावहारिक जीवन को प्रभावित करने वाले तथ्य इस प्रकार हैं –

1. भारत में लोकतंत्रात्मक व्यवस्था के अन्तर्गत चुनाव प्रणाली में लोकसभा एवं राज्य सभा एवं प्रान्तीय विधानसभा का गठन किया गया है।
2. केन्द्रीय एवं प्रान्तीय संस्कारों के गठन हेतु चुनाव प्रणाली के गुण–दोषों से आमजनता परिचित हो चुकी है।
3. केन्द्रीय सरकार एवं प्रान्तीय सरकारों द्वारा जनजाति विकास एवं लोकहित में अनेकों निर्णय लिए जा चुके हैं। उनका क्रियान्वयन भी किया जा चुका है। किन्तु जो लाभ जनजातियों को मिलना चाहिए, वह उपलब्ध नहीं हो सके हैं। अर्थात जनजातियों पर प्रभाव आंशिक है।
4. जिला नारायणपुर (अबूझमाड़) अंचल में आवासित अबूझमाड़िया आज भी राजनैतिक गतिविधियों से शसक्त है। जिसका मूल कारण उच्च भू खण्ड नक्सलवाद से प्रभावित होने के कारण, प्रशासकीय दृष्टि से भी यह आंचल उपेक्षित एवं पिछड़ा है।
5. अबूझमाड़ अंचल की प्रशासनिक व्यवस्था, प्रशासन तंत्र व्यवस्था में अलग है। यहां आवासित जनजातियों की अपनी व्यवस्था अलग है, यहाँ आवागमन, परिवहन का कोई साधन नहीं, मात्र पैदल यात्रा ही साधन है।
6. नक्सलवाली विचारधारा के लोग अबूझमाड़ में अवांछित जनजातियों के ऊपर होती है।
7. राजनेता सत्ता पक्ष मनमानी रूप से अबूझमाड़ (आरछा) में फर्जी वोटिंग का प्रचलन चला आ रहा है। जिसमें नक्सलवादियों का विशेष प्रभाव परिलक्षित होता है।

नारायणपुर जिला के पर्यावरण पारिस्थितिकी संकट के प्रमुख कारण निम्नवत है –

1. औद्योगिक विकास
2. तीव्र गति से जनसंख्या वृद्धि
3. आधुनिक तकनीकी का अधिकतम उपयोग
4. अनियोजित विकास
5. उत्खनन से उत्पन्न समस्यायें।

निष्कर्ष –

यह सत्य है कि भारत की आजादी के बाद जो संवैधानिक दर्जा उन्हें प्राप्त था, शासन/प्रशासन द्वारा समय–समय पर जो खर्च किया जाता रहा है, उन्हें व्यावहारिक रूप से सुविधाएं सुलभ नहीं हो सकी जिसके कारण जनजातियां अरण्यवासी बनी। इसी कारण तो वे अरण्यक जीवन में कुशल हो गये। उन्हें इतने जीवनोपयोगी उद्योग धन्धों का ज्ञान होता है कि जितना एक विद्वान शिक्षाशास्त्री भी प्राप्त नहीं कर सकता। साथ ही अपने लिए वे अनुबन्ध–कला में प्रवीण्य होते हैं। जंगल के पशु–पक्षियों ज्ञान, बीहड़ रास्तों, शिकार को कुशलता, ऋतु चक्रों का परिचय, वनस्पतियों और जमीन का ज्ञान, काम चलाऊ वैद्यक आदि कितने ही विषयों को उन्होंने अपना लिया। ज्ञान, काम–चलाऊ वैद्यक आदि कितने ही विषयों को उन्होंने अपना बना लिया। आरण्यक जीवन में जो आनन्द उन्हें मिलता है, उसे व्यक्त करने के लिए उन्होंने अपनी संगीत–कला तथा नृत्य–कला भी विकसित की है। कितनी जातियों में एक प्रकार की लोकशैली की चित्रकला भी देखने को मिलती है। इस लोक के समान परलोक का भी

उन्होंने चिन्तन किया है और उसका अनुसरण करके धार्मिक विश्वासों, संस्कारों और रीति–रिवाजों की परम्परा भी विकसित की है। लेखन–कला के अभाव में उन्होंने काव्य–कला का आश्रय लेकर इस परम्परा को कायम रखा है। उन्होंने अपने जीवन को विषम परिस्थिति में भी स्वयंपूर्ण और उद्देश्ययुक्त बना लिया है। इस प्रकार के लोगों को अपना बनाने के पूर्व हम उन्हें भली–भांति जान–पहचान लें। जब उनके लिए हमारे मन में प्रेमादर हो, तभी हम इस सारे काम में सफलता प्राप्त कर सकेंगे।

शोधार्थी का अपना विचार है कि उनकी शिक्षा के लिए और उनकी आर्थिक जीवन में साधारण दृष्टि से सुधार के लिए हमें उन्हें सुविधाएँ प्रदान करनी चाहिए और यह बात उन पर छोड़ देनी चाहिए कि वे अपने चारों ओर के समाज के घुल–मिल जाना या आत्मसात् हो जाना चाहते हैं अथवा अपना पृथक् जनजातीय अस्तित्व बनाये रखना चाहते हैं। अपने यहाँ की रहन–सहन की विभिन्नताओं के कारण भारत में जनजातियों के लिए पर्याप्त अवसर है कि यदि वे ऐसा चाहें तो वे अपना पृथक् सामाजिक अस्तित्व बनाये रखें।

अबूझमाड़ के सम्बन्ध में –

कारण और गतिविधि के मध्य सन्निहित बिन्दु जो उभर कर आये हैं, इस प्रकार हैं –

1. आजादी के बाद राजनेताओं ने अबूझमाड़ के साथ उपेक्षापूर्ण व्यवहार किया है।
2. अबूझमाड़ (ओरछा विकास खण्ड) में वनवासी आदिम जनजातियों के सम्बन्ध में जो भी आर्थिक रूप से जनजाति विकास के सम्बन्ध में अरबों रुपये खर्च किये गये हैं। वे जन जातियों में पारिस्थितिकी के अनुकूल नहीं हैं।
3. जनजातियों के नाम पर केवल शोषण किया जाता रहा है।
4. सत्तासीन राजनेता इसाई मिशनरियों में सांठ–गांठ कर विदेशी सरकार इसाई मिशनरियों के माध्यम से पैसा लेते रहे हैं।
5. इसाई मिशनरियाँ सत्ता का दुरुपयोग कर माओवादी नक्सलवादी लोगों में साठ–गाठ का बौद्धिक रूप में वनवासियों को अस्त्र के रूप में उपयोग कर नक्सलवाद के रूप में प्रयोग करते आ रहे हैं।
6. वर्तमान में नक्सलवाद छत्तीसगढ़ शासन व भारत सरकार के लिए चुनौती बनकर उभर रहा है।

सुझाव –

"संविधान के अनुसार हमें उनकी विशिष्ट देखभाल करनी है और उनकी सहायता के लिए रुपया लगाना है।" मैं केवल साधारण रूप से एक कार्यक्रम सुझाव के रूप में रखता हूँ –

1. सर्वप्रथम और सर्वोपरि बात यह है कि निम्नतम श्रेणी से लेकर उच्चतम श्रेणी तक की शिक्षा के प्रसार को हम प्रोत्साहन दें।
2. सरकार को लोकसेवाओं में उन्हें नौकरी देने के लिए कदम उठाना चाहिए।
3. उनकी कलात्मक अभिरुचि और उनकी स्वाभाविक क्षमता से लाभ उठाकर राज्य को उन्हें ऐसे धन्धों में लगाकर प्रोत्साहन देना चाहिए जो उनके लायक हो।
4. उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए उनको भूमि पर बसाने की व्यवस्था होनी चाहिए। कुछ स्थानों में उन्होंने स्थायी दृष्टि से खेती–बाड़ी करना आरम्भ कर दिया है, फिर भी बहुत कुछ करना बाकी है, इसलिए प्रोत्साहन देना चाहिए। वे लोग अपने वन्य जीवन में मोह रखते हैं और उन्हें वनों से बहुत लाभ भी है। इसलिए वनों की रक्षा करते हुए इस बात का प्रयास हो कि उन्हें वनों की सुविधाओं से वंचित न कर दिया जावे, जिनका वे अब तक उपयोग करते रहे हैं और जिनसे उनको काफी सहायता मिलती है। अभी ऐसी अनेकों जातियाँ हैं, जो स्थायी कृषि में नहीं लगी हैं और जो 'दहिया' की कृषि कर लेती है। इस बात का प्रयास होना चाहिए कि उन्हें जमीन पर बसा दिया जावे और दहिया की खेती को प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिए। उनको अनुभव करा दिया जावे कि स्थायी कृषि ही अधिक लाभदायक है। वैत्तिक और अन्य लाभकारी सहायता देकर उनको स्थायी जीवन में लाने के लिए तैयार करने का प्रयास हो।
5. अपनी सामाजिक और अन्य समस्याओं को हल करने के लिए उनके अपने जनजातीय संगठन हैं। इन संगठनों को प्रोत्साहन देना चाहिए कि वे विभिन्न राज्यों द्वारा शुरू और पोषित की जाने वाली पंचायतों के साथ कदम–ब–कदम चलें।
6. उनके मन में यह भावना निर्माण हो कि वे राष्ट्र के आवश्यक और अविच्छिन्न अंग हैं और किसी भी अन्य समुदाय या वर्ग की तरह ही उनको भी अपना पार्ट अदा करना है।
7. जनजातियों को जंगली जड़ी बूटियों का अच्छा अनुभव एवं वंशानुगत अनुभव प्राप्त है। चिकित्सा क्षेत्र में जनजातियों के ज्ञान का आयुर्वेद विज्ञान में लिपिबद्ध रूप में समाहित किये जाने का प्रयास सार्थक सिद्ध हो सकता है। इस दिशा में वर्तमान छत्तीसगढ़ सरकार ने जनजातियों को प्रोत्साहन की दृष्टि से घर/जंगलों में आबाद जनजातियों को जड़ी बूटी संग्रहण केन्द्र ग्रामीण वैद्य के रूप में उपकृत कर एक महत्वपूर्ण कार्य किया है।

देश के स्वतंत्र हो जाने पर सन् 1947 से जनजातियों का सुधार छत्तीसगढ़ की राष्ट्र–निर्माणकारी योजनाओं का एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है। मध्यप्रदेश से छत्तीसगढ़ का पुर्नगठन के पश्चात् छत्तीसगढ़ द्वारा काफी प्रयास किये गये हैं। पंचवार्षिक योजना में आदिवासी समस्या को हल करते समय केवल एक प्रश्न पर विचार करना कदापि योग्य न होगा। एक ही साथ अनेक मोर्चों पर काम करना है। इसी उद्देश्य को सामने रखकर आदिवासी कल्याण योजना ने अपनी प्रवृत्तियाँ पांच प्रमुख विभागों में बाँट रखी है – जैसे (1) शिक्षा–प्रसार, (2) आर्थिक विकास, (3) स्वास्थ्य संवर्धन, (4) आवागमन के

मार्ग और (5) सांस्कृतिक, सामाजिक तथा नैतिक उत्थान। आदिवासियों के मध्य में काम करने वाले कार्यकर्ताओं को बड़ी सजगता से काम करना है।

सन्त विनोबाजी ने इसके सम्बन्ध में यह सुझाव दिया है – "वनखण्ड में रहने वाले इन भोले–भाले आदिवासियों का यदि संस्कार बढ़ाया जाए, विकारों से उन्हें मुक्त किया जाए और प्राकृतिक जीवन और भी उच्च बनाया जाए, तो ये बड़े देशभक्त हो सकते हैं। यदि इन आदिवासियों को सही ढंग से तालीम मिले तो अच्छे विद्वान् हो सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि इन आदिवासियों की जीवन–पद्धति पर किसी प्रकार का आक्रमण न होने पावे; अच्छे संस्कार तो उन्हें मिलें ही, किन्तु इनके अपने सुन्दर संस्कार मिटने देना नहीं चाहिए।"

शासन ने इस दिशा में काफी उत्साहजनक कार्य किया है। भारत सरकार और राज्य सरकारें इस दिशा में जागरुक है और शिक्षा का प्रसार बड़ी तेजी से हो रहा है। रामकृष्ण मिशन का जनजाति जागरुगता एवं शिक्षा सम्वर्धन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है, भविष्य में जनजाति जागरण के समान योगदान प्रदान करेगा।

सन्दर्भ ग्रन्थ

1. डॉ. ब्रह्मदेव शर्मा : आदिवासी विकास सैद्धान्तिक विवेचन, पृष्ठ 3, हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल.
2. नई दुनिया, रायपुर (मंगलवार), 17 मार्च 2015.
3. वनांचल में महुए की महक, बस्तर रीजनल, नई दुनिया, रायपुर, 13 मई 2015.
4. दुर्खेम एक अध्ययन, पृष्ठ 236.
5. वही, पृष्ठ 236.
6. कृपा राम, पृष्ठ 344.
7. गोंडवाना किरण कैलेण्डर, 2002.
8. दामी राम सलाम, 2004, भारत की गोड़ जनजाति, पृष्ठ 114–115.
9. इतिहास गण्डई स्टेट, 15.12.1920, गोड़ धर्मपुराण, पृष्ठ 43.
10. बस्तर बंधु उत्तर बस्तर विशेषांक वार्षिक अंक,28.09. 2005, पृष्ठ 43.
11. सूर्यपाल तिवारी : 1982, इंद्रावती राज्य प्रकाशन, नई दिल्ली, पृष्ठ 60.
12. कीता राम मण्डावी : 1998, छ.ग. की मध्यकालीन संस्कृति एवं कला अप्रकाशित शोध.
13. अमल साय शोरी, ग्राम–कोटवेल, उम्र–42 वर्ष, व्यक्तिगत साक्षात्कार दिनांक 04.09.08
14. वेरियर एल्विन, 2008 मुरिया और उनका घोटुल, पृष्ठ 255.
15. पांचजन्य – मिशनरी मुट्टी में अबूझमाड़–विशेषांक साप्ताहिक, 23 जून 2015, संस्कृति भवन, नई दिल्ली.